संख्या-24/2016/1140/92-1-2016-5ब/2015

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-145/ग्रा0अ0वि0/बजट/अनुमान/2016-17, दिनांक 11-4-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग" हेतु अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में मतदेय मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,51,15,97,000/- (रूपये तीन अरब इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख सत्तानवे हजार मात्र) एवं भारित मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7,50,000/- (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 3,51,23,47,000/- (रूपये तीन अरब इक्यावन करोड़ तेइस लाख सैंतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष **कुल धनराशि रू0-3,34,79,25,000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रूपये तीन अरब चौंतीस करोड़ उन्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र) को निम्नवत विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मानक मद कोड सहित	बजट प्राविधान (हजार रूपये में)	स्वीकृत/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (हजार रूपये में)
1	2	3	4
1	01-वेतन	1383702	1383702
2	02-मजदूरी	30900	**5000**
3	03-मंहगाई भत्ता	1881835	1881835
4	04-यात्रा व्यय	5000	5000
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1400	1400
6	06-अन्य भत्ते	138370	**40000**
7	07-मानदेय	942	**00**
8	08-कार्यालय व्यय	500	500
9	09-विद्युत देय	4584	4584
10	10-जलकर/जल प्रभार	400	400
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	560	**300**
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500	**250**
13	13-टेलीफोन पर व्यय	1183	1183
14	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	2700	**00**
15	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4500	**3000**
16	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000	**2500**
17	17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	2000	**500**
18	29-अनुरक्षण	3000	**00**
19	42-अन्य व्यय	1	1
20	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	6000	6000
21	45-अवकाश यात्रा व्यय	250	250
22	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000	**500**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	250	250
24	49-चिकित्सा व्यय	32000	**10000**
25	51-वर्दी व्यय	20	20
	मतदेय योग-	**3511597**	**3347175**
	भारित 42-अन्य व्यय	750	750
	कुल योग-	**3512347**	**3347925**

(रूपये तीन अरब चौंतीस करोड़ उन्यासी लाख पच्चीस हजार मात्र)

3- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा एवं मितव्ययिता से संबंधित मदों में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। जिन मदों में व्यय के पूर्व शासन के अनुमोदन की आवश्यकता हो उन पर बिना शासन के पूर्वानुमोदन के व्यय नहीं किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह के मासिक व्यय विवरण की सूचना नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय,उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ-साथ वित्त विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्धारित प्रारूप (बी0एम0-13) पर अनिवार्य/नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-24/2016/1140(1)/92-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।